Motion regarding Constitution of the Joint Committee on Offices of Profit

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I beg to move the following:-

?That a Joint Committee of the Houses to be called the Joint Committee on Offices of Profit be constituted consisting of fifteen members, ten from this House and five from the Rajya Sabha, who shall be elected from amongst the members of each House in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote;

That the functions of the Joint Committee shall be ?

to examine the composition and character of all existing ?committees? (other than those examined by the Joint Committee to which the Parliament (Prevention of Disqualification) Bill, 1957 was referred) and all ?committees? that may hereafter be constituted, membership of which may disqualify a person for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under article 102 of the Constitution;

to recommend in relation to the ?committees? examined by it what offices should disqualify and what offices should not disqualify;

to scrutinise from time to time the Schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, and to recommend any amendments in the said Schedule, whether by way of addition, omission or otherwise;

That the Joint Committee shall, from time to time, report to both Houses of Parliament in respect of all or any of the aforesaid matters;

That the members of the Joint Committee shall hold office for the duration of the present Lok Sabha;

That in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of members of the Committee;

That in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

That this House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the said Joint Committee and to communicate to this House the names of members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee.?.?

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि सभाओं की एक संयुक्त समिति जिसे लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति कहा जाएगा, का गठन किया जाए जिसमें पंद्रह सदस्य होंगे, जिनमें से दस सदस्य इस सभा से तथा पांच राज्य सभा से होंगे, जिन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रत्येक सभा के सदस्यों में से चुना जाएगा;

कि संयुक्त समिति के कार्य निम्न होंगे:

(एक) सभी विद्यमान 'समितियों' (संयुक्त समिति द्वारा जांची गई समितियों को छोड़कर जिन्हें संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक, 1957 भेजा गया था) तथा इसके पश्चात गठित की जाने वाली उन सभी 'समितियों' की रचना तथा स्वरूप की जांच करना जिसकी सदस्यता के कारण कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्ह हो सकता है;

(दो) इसके द्वारा जांच की गई 'समितियों' के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों के कारण निरर्हता होनी चाहिए तथा किन पदों के कारण नहीं; और

(तीन) संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर संवीक्षा करना तथा उक्त अनुसूची में किसी भी संशोधन की सिफारिश करना चाहे वह संशोधन परिवर्धन द्वारा हो अथवा लोप द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से ।

कि संयुक्त समिति समय-समय पर संसद की दोनों सभाओं को उपरोक्त सभी या किसी भी विषय के संबंध में प्रतिवेदन देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा के कार्यकाल तक पद धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए समिति के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई सदस्यों का होना आवश्यक है;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और संशोधनों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किए जाएं; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.33 hrs